मु.नं.–21/2021 GCMS ID-2021/29 ता.रजु–24.02.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा, निवासी पालों की हटरिया, छतपाड़ा, करौली — अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–24.03.2021

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) सितंबर 2016 से दिनांक 08.01.2021 तक राज्य सरकार द्वारा एफ.पी.एस. डीलर श्री त्रिलोक चंद गुप्ता और श्री कैलाश चंद गुप्ता वार्ड नं. 29 करौली को केरोसीन का आवंटन, वितरण एवं अवशेष स्टॉक, (2) अवशेष मात्रा स्टॉक में है या नहीं, जांच करवायी जावे एवं प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे, आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद/आरटीआई/2021/1155 दिनांक 05.03.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 7935 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रेषित कर दी गई है। पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है।
5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।
6. अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि उन्हें सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट है। अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली